भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3189**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**अनाथों की पहचान किया जाना**

**3189. श्री प्रताप सिंह बाजवाः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनाथालयों की संख्या और उनमें साथ में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनाथ बच्चों की पहचान करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाने गए अनाथ बच्चों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अनाथालयों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा और विकास संबंधी किसी नई योजना का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : किशोर न्‍याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 2(57) और धारा 65 के अनुसार, प्रत्‍येक राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र दत्‍तकग्रहण के उद्देश्‍य के लिए समिति के आदेश द्वारा वहां रखे गए अनाथों, छोड़े या समर्पित किए गए बच्‍चों के लिए प्रत्‍येक जिले में एक या अधिक ''विशिष्‍ट दत्‍तकग्रहण एजेंसी'' (एसएए) की स्‍थापना करेगा। दत्‍तकग्रहण विनियम 2017 के विनियम 58 के अनुसार, सभी बाल देखरेख संस्‍थानों (सीसीआई), जिन्‍हें विशिष्‍ट दत्‍तक ग्रहण एजेंसी के रूप में मान्‍यता नहीं दी गई है, का जिले में सीसीआई के साथ संपर्क होना चाहिए। राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन संस्‍थानों में रहने वाले तथा समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) (अब बाल संरक्षण सेवाएं) के अंतर्गत निधि प्राप्‍त करने वाले बच्‍चों की संख्‍या के साथ विशिष्‍ट दत्‍तकग्रहण एजेंसियों की संख्‍या संलग्‍न है।

(ख) से (ड.) : किशोर न्‍याय अधिनियम के निष्‍पादन का प्राथमिक उत्‍तरदायित्‍व राज्‍य सरकारों का है। तथापि, केंद्र सरकार अधिनियम के निष्‍पादन तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्‍यकता वाले बालकों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित पर्यावरण का सृजन करने के उद्देश्‍य से वर्ष 2009-10 से एक केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम अर्थात आईसीपीएस (अब बाल संरक्षण सेवाएं) का संचालन कर रही है। इस स्‍कीम के अंतर्गत विभिन्‍न प्रकार के बाल गृह और विशिष्‍ट दत्‍तकग्रहण एजेंसियों की स्‍थापना, उन्‍नयन एवं अनुरक्षण के लिए हिस्‍सेदारी स्‍वरूप पर राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन नियमों में अन्‍य बातों के साथ-साथ वास्‍तविक अवसंरचना, कपड़ा, पलंग, पोषण तथा भोजन के लिए मानकों तथा शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसे पुनर्वास उपायों की व्‍यवस्‍था की गई है। किशोर न्‍याय अधिनियम की धारा 54 के अनुसार राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों से नियमित जांच एवं निगरानी के माध्‍यम से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संस्‍थानों को अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्‍चित करें। अपेक्षा की जाती है कि यह सुनिश्‍चित किया जा सके कि संस्‍थानों को अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार चलाया जा सके। इसके अतिरिक्‍त, किशोर न्‍याय अधिनियम की धारा 32 में यह उल्‍लेख किया गया है कि यदि बालक को अपने संरक्षक से अलग पाया जाता है तो इसकी सूचना बाल कल्‍याण समिति को अनिवार्य रूप से देनी होगी।

\*\*\*\*\*

अनुलग्‍नक

**अनाथों की पहचान किया जाना विषय पर श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3189 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण**

**आज की तारीख के अनुसार आईसीपीएस के अंतर्गत इन संस्‍थानों में रहने वाले बच्‍चों की संख्‍या सहित देश में विशिष्‍ट दत्‍तकग्रहणएजेंसियों का ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **राज्‍य** | **विशिष्‍ट दत्‍तकग्रहण एजेंसी (एससस)** | **लाभार्थी** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 14 | 135 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 3 |
| 3 | असम | 14 | 78 |
| 4 | बिहार | 28 | 170 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 14 | 42 |
| 6 | गोवा | 2 | 46 |
| 7 | गुजरात | 14 | 163 |
| 8 | हरियाणा | 7 | 48 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 6 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 2 | 20 |
| 11 | झारखंड | 15 | 217 |
| 12 | कर्नाटक | 28 | 255 |
| 13 | केरल | 17 | 95 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 22 | 213 |
| 15 | महाराष्ट्र | 17 | 181 |
| 16 | मणिपुर | 5 | 35 |
| 17 | मेघालय | 6 | 7 |
| 18 | मिजोरम | 7 | 51 |
| 19 | नागालैंड | 4 | 7 |
| 20 | ओडिशा | 17 | 217 |
| 21 | पंजाब | 5 | 107 |
| 22 | राजस्थान | 12 | 40 |
| 23 | सिक्किम | 4 | 6 |
| 24 | तमिलनाडु | 15 | 150 |
| 25 | त्रिपुरा | 6 | 48 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 17 | 170 |
| 27 | उत्तराखंड | 0 | 0 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 22 | 273 |
| 29 | तेलंगाना | 11 | 309 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार | - | 0 |
| 31 | चंडीगढ़ | 4 | 17 |
| 32 | दादर और नगर हवेली | - | 0 |
| 33 | दमन और दीव | - | 0 |
| 34 | लक्षद्वीप | - | 0 |
| 35 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 3 | 60 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 2 | 13 |
|  | **कुल** | **336** | **3182** |